न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.
अपील संख्या 232/2017 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2017/00059)

1. भंवरलाल पुत्र किसनाराम जाति जाट निवासी पूरबसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. भेरूगर
3. काशीराम

   पुत्र चेतनगर जाति गुसांई निवासी पूरबसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
4. रामकुमार पुत्र रामेश्वर जाति गुसांई निवासी पूरबसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. सुल्तानगिर पुत्र बस्तीगिर जाति गुसाई निवासी पूरबसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार रावतसर जिला हनुमानगढ

रेस्पोडेंट्स

3. जेठी पत्नी देवगिर जाति गुसाई निवासी पुरबसर तहसील रावतसर।
4. हेतगिर पुत्र देवगिर जाति गुसाई निवासी पुरबसर तहसील रावतसर।
5. खेतगिर पुत्र देवगिर जाति गुसाई निवासी पुरबसर तहसील रावतसर।
6. जगदीशगिर पुत्र देवगिर जाति गुसाई निवासी पुरबसर तहसील रावतसर।
7. कृष्णगिर पुत्र देवगिर जाति गुसाई निवासी पुरबसर तहसील रावतसर।
8. रामेश्वरगिर पुत्र देवगिर जाति गुसाई निवासी पुरबसर तहसील रावतसर।
9. सोगनगिर पुत्र बस्तगिर जाति गुसाई निवासी पुरबसर तहसील रावतसर।
10. रणजीगिर पुत्र बस्तगिर जाति गुसाई निवासी पुरबसर तहसील रावतसर।
11. हंसराज पुत्र बस्तगिर जाति गुसाई निवासी पुरबसर तहसील रावतसर।
12. धापी पुत्री चेतनगिर पत्नी भीमगिर जाति गुसाई निवासी दुध गीरवाली तहसील सरदारशहर जिला चूरू।
13. इमरती पुत्री चेतनगिर पत्नी भागगिर जाति गुसाई निवासी सिरंगसर तहसील नोहर।
14. निको पुत्री चेतनगिर पत्नी किशनगिर जाति गुसाई निवासी सिरगंसर तहसील नोहर।
15. छोटी पुत्री चेतनगिर पत्नी किशनगिर जाति गुसाई निवासी भोजासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू।
16. रामकोरी पुत्री चेतनगिर पत्नी प्रभुगिर जाति गुसाई निवासी ठुकराना तहसील सुरतगढ।
17. सीता पुत्री चेतनगिर पत्नी रामकुमार जाति गुसाई निवासी पुरबसर तहसील रावतसर।
18. मनोहरी
19. बेबी
20. शारदा
21. सोनहरी
22. कृष्ण

    पत्नी व पुत्रिया चेतनगिर जाति गुसाई निवासी पुरबसर तहसील रावतसर।

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

23. गीता
24. माना
25. ज्याना
26. रामेती

पुत्रिया देवगिर जाति गुसाई निवासी पुरबसर तहसील रावतसर।

तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितः
1. श्री सत्यपाल सहू – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री नरेन्द्र सिह राजपुरोहित – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1
3. श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 12.07.2023**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अति.जला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ) के निर्णय दिनांक 18.04.2017 के विरूद्व पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 सुल्तानागिर ने तहसीलदार रावतसर द्वारा स्वीकृत इन्तकाल सं. 1458 दिनांक 24.11.2015 के विरूद्व अति. जिला कलक्टर नोहर मे अपील पेश कर उसे निरस्त करने का निवेदन किया, जिस पर अति. जिला कलक्टर नोहर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 18.04.2017 द्वारा अपील स्वीकार कर इंतकाल सं. 1458 दिनांक 24.11.2015 को अपास्त कर प्रकरण को रिमाण्ड कर दोनो पक्षो को सुनकर विधि अनुसार पुनः इन्तकाल की कार्यवाही करने का निर्देश दिया। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट भंवरलाल वगैरह द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। अभिभाषक अपीलान्ट के निवदेन पर रेस्पोडेन्ट सं. 3 ता 26 तरतीबी रेस्पोडेन्ट होने के कारण इनको तलब नही किया गया।
4. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि कृषि भूमि वाके रोही पूरबसर की खाता सं. 403/376 की खं. नं. 98 तादादी 1.1000 है., खं. नं. 101 तादादी 0.3280 है., खं. नं. 102 तादादी 3.7300 है., खं. नं. 211 तादादी 0.7330 है., खं. नं. 318 तादादी 5.6020 है., खं. नं. 319 तादादी 0.8600 है.,

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

कुल किता 6 तादादी 12.3530 है. अपीलाटांन व रेस्पोडेन्ट के नाम मुताबित हिस्सा दर्ज रिकार्ड है जिसमें अपीलान्ट सं. 2 व 3 का 2/9 हिस्सा एवं अपीलांट सं. 4 का 1/9 अविभाजित हिस्सा है जिसमे सभी हिस्सेदारान का प्रत्येक खसरा मे अपने हिस्से के अनुसार हक स्थित है एवं सहखातेदार होने के कारण समस्त खसरो मे अपना हक एवं हिस्सा निहित है। अपीलान्ट सं. 2 ता 4 द्वारा अपीलान्ट सं. 1 के हक में एक पंजीकृत बैयनामा दिनांक 16.11.15 को उपपंजीयक पल्लू के समक्ष तस्दीक करवाकर खाता सं. 403 की खं. नं. 98 की 1.1000 है. मे से 0.3666 है. एव खं. नं. 211 तादादी 0.7330 है. मे से 0.2442 है. कुल 0.6108 है. भूमि का विक्रय पत्र तस्दीक करवाया जो रेस्पोडेन्ट सं. 2 ता 4 के कानूनन स्थित 3/9 हिस्से से अधिक नही है एवं अपीलान्ट को अपने हिस्से की भूमि विक्रय करने का अधिकार हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स द्वारा विक्रय एवं क्रय की गई भूमि का पंजीकृत दस्तावेज को बिना निरस्त करवाये पंजीकृत बैयनामा के आधार पर दर्ज नामान्तकरण को खारिज कर कानूनी भूल खाई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपील मे निहित कानूनी बिन्दु दर्ज नामान्तकरण सं. 1458 दिनांक 24.11.2015 को बिना किसी कानूनी आधार के खाता विभाजन के वाद को आधार बनाते हुए कानून के मान्य सिद्धान्तो के विपरित जाकर अपने हिस्से की भूमि के किये गये बेचवान के आधार पर दर्ज नामान्तकरण निरस्त कर कानूनी भूल खाई है। अतः अपील को अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 25.05.2017 को होने का मानकर अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.04.2017 निरस्त फरमाया जावे। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में RRT 2013 (1) पेज 382, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि बिना खाता विभाजन हुए स्पेशेफिक खसरो की भूमि का बैचान नही किया जा सकता है। जो हिस्सा विक्रय हुआ है उसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूरे तथ्यो को देखकर निर्णय पारित किया है जो सही

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

है। अपीलान्ट इतने वर्षो बाद भी कोई नया तथ्य नही लाये है। अतः अपीलान्ट की अपील इसी स्तर पर खारिज की जावे।

6. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

7. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। अपीलान्ट ने यह अपील अति. जिला कलक्टर नोहर के निर्णय दिनांक 18.04.2017 के विरूद्व अदालतवाला में दिनांक 27.07.2017 को प्रस्तुत की है, जिसको अन्दर मियाद स्वीकार करने हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। जिसका कोई खण्डन अथवा उक्त शपथ पत्र के विरूद्व प्रति शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया गया है, इस आधार पर अपील को न्यायहित में अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

8. प्रस्तुत अपील में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इंतकाल सं. 1458 दिनांक 24.11.2015 को अपास्त कर पत्रावली को रिमाण्ड कर दोनो पक्षो को सुनकर विधि अनुसार पुनः इन्तकाल दर्ज करने का निर्देश दिया है। अपीलान्ट का कथन है कि उनके द्वारा संयुक्त खातेदारी भूमि में 3/9 हिस्सा खं. नं. वार क्रय किया है जिसके आधार पर नामान्तरकरण सं. 1458 दर्ज किया गया है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी विशिष्ट भू भाग का विक्रय बिना खाता विभाजन के नही किये जाने के आधार पर नामान्तकरण सं. 1458 को निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड किया गया है। अपीलान्ट द्वारा द्वारा अपीलाधीन आदेश के विरूद्व प्रस्तुत अपील में ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नही किया है जो कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में विधिक त्रुटि प्रकट करता हो। ऐसी स्थिति मे हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि नही होने से उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नही समझते है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

9. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 12.07.2023 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर